सेवा में,

National Groon Tribunal
(Principal Bench)
Faridkot House, Copermicus Marg
New Delhi -110001

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
04 AUG 2022
Dairy No. 2745
Signature

क्रमांक: 12

दिनांक: 01.08.2022

विषय : श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.04.2022 मूल आवेदन संख्या 209/2022 (वी.सी. द्वारा) मेघसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के ।

प्रसंग : श्रीमान् न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2022 अनुसार माईनिंग सम्बन्धित विभागों के सचिव एवं उच्च अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार ग्राम रणधीसर पहाड़ी की वर्तमान स्थिति जानने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया गया जिसमें मनोनीत सदस्यगण

माननीय सदस्यगण –

1. भागीरथ शेख अतिरिक्त कलक्टर सुजानगढ़।

2. महेशदत पुरोहित उप निदेशक एस वैज्ञानिक सी एम आई एफ और सी.सी. आई आर ओ, जयपुर ।

3. भीमसिंह अधीक्षण खनि. अभियन्ता बीकानेर ।

4. दीपक तंवर ई ई एवं क्षेत्रीय अधिकारी आर.एस.पीसीबी नागौर (नोडल) अधिकारी।

Ld. R. Cr.
04-08-2022
Con. (D)

महोदय,

संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद हम स्थानीय समुदाय की ओर संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट के विरूद्ध हम अपना आपति

305/22 Judl.
05/08/22

OA-209/2022

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहते है कि दिनांक 22.08.2022 की सुनवाई में हमारा यह आप्पती प्रार्थना पत्र सुनवाई में सम्मलित किया जाकर अंकित बिन्दूओं पर भी सुनवाई की जाये आपकी अति मेहरबानी होगी।

संयुक्त समिति में श्रीमान् के समक्ष जो संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।व मूल तथ्यों से हटकर प्रस्तुत की है।हम स्थानीय समुदाय द्वारा जो बिन्दू श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किये थे।इन सारे बिन्दूओं के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

संयुक्त जांच समिति में जो सदस्य नियुक्त किये है।वह सारे इस खनन से सम्बन्धित यहां के लोकल अधिकारी है।यहां पर अवैध खनन इन्हीं की देन है।न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली से जांच टीम आने की बात को लेकर यहां के खनन माफिया में भरी खोप था । परन्तु इन सदस्यों का नाम सुनते ही खनन माफियों को सारा खोप निकल गया ।

संयुक्त जांच समिति दिनांक 06.06.2022 को ग्राम पंचायत रणधीसर पहुंची स्थानीय समुदाय वही पर उपस्थित थे।जिनकी एक न सुनी और खनन माफियों में सलाह मुशविरा कर नाम मात्र पहाड़ी का चक्कर लगाकर सालासर जाकर होटल में रूक गये।दिनांक 07.06.2022 को वापिस आये ही नहीं । वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है सालासर पुजारी भंवरलाल जिला अध्यक्ष है, सारा षडयंत्र वहीं रचा गया/और गोलमाल रिपोर्ट बनाकर श्रीमान् को प्रस्तुत कर दी गई।

इस सरकार के राज में खनन माफियां किस हद तक हावी है किसी से भी छिपा नहीं है जनसेवक हो, चाहे अधिकारी/कर्मचारी देखते ही देखते ही कुचल दिये जाते है।सरकार घोषणा करती है कि एक करोड़ रूपये और एक

को सकरारी नौकरी बस / स्थानीय समुदाय इतने भयभीत है कि खनन क्षेत्र में जाना तो बहुत दूर की बात है इनकी और देखने तक की जहमत नहीं कर पाते ।

संयुक्त जांच समिति ने रणधीसर पहाड़ी के पूरे क्षेत्र की ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी करवाकर जांच रिपोट्ट के साथ पेन ड्राईव प्रस्तुत की है नही कारण की जांच की सारी पोल खुल जायेगी।

दिनांक 14.03.2022 को स्थानीय समुदाय में से कुछ नवयुवक आप श्रीमान् के समक्ष इस पहाड़ी की वस्तुत स्थिति प्रस्तुत करने हेतु ड्रोन से वीडियोग्राफी करनी चाही तो खनन माफियों में से घीसाराम खटीक ने कैमरा एवं ड्रोन को फोड़ दिया और मारपीट की और अपने पैसों के दम पर थाना छापर में मुकदमा नम्बर 33 दिनांक 14.03.2022 धारा एससी एसटी में दर्ज करवा दिया। जिसमें चालान हुआ। हम लोगों ने जमानतें करवायी। हमारा मुकदमा आज तक लटक रहा है। वक्त पैसों का है, गरीबों का नहीं ।

रणधीसर पहाड़ी के छोटे–मोटे आठ शिखर थे छः पूर्णतया गायब, दो शिखर बीएसएनएल टावर एंव माता जी मंदिर वाले शेष अवशेष बचा है । इनकी वस्तुस्थिति वीडियोग्राफी द्वारा आपके समक्ष रखना चाहता हूं/ परन्तु प्रार्थी की उम्र 65 वर्ष है इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया जावे।

या आपके प्रोटेक्शन में कोई चार सदस्यों की कमिश्नर टीम जांच हेतु नियुक्त की जाय और ओचक साधारण व्यापारी बनकर निरीक्षण किया जाय। जब ही इस जांच रिपोर्ट का पर्दा खुल सकता है।

रणधीसर पहाड़ियों पर प्रार्थी स्वयं द्वारा अपने मुवेशी चराये हुवे है इसलिए इन पहाडियों का पहले स्वरूप कैसा था । और वर्तमान में कैसा है विवेक से संवत् 1965 एवं 2079 का नक्शा मय हालत मौका प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 से 8 तक इन पहाडियां का अलग–अलग शिखर नक्शा में दर्शाया गया है हम स्थानीय लोग इन्हें 8 ही पहाडियां मानते है मुलायजा फरमाया जाय ।

लोकल परिवहन अधिकारी एवं थानाधिकारी छापर की मिलीभगत से ओवरलोड वाहन को अण्डर लोड बताया जाकर धडले से पुलिस चौकी के आगे से गुजार रहे रणधीसर पहाड़ी से रतनगढ़ की और जाने वाली रोड़ इन ओवरलोड वाहनों/टायरों से छः इंच तक धस गई है। यह रिपोर्ट दे रहे है कि रणधीसर पहाड़ी पर ओवरलोड वाहन नहीं देखा गया है टोल अधिकारियों से गुप्त जांच करवायी जावे/और हमें वीडियोग्राफी के लिए आदेश फरमाया जाय।

दिनांक 20.07.2022, 21.07.2022,22.07.2022, 23.07.2022, 24.07.2022, 28.07.2022 राजस्थान पत्रिका संस्करण बीकानेर की कटिंगें श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन करता हूं कि नजरी मुलायजा फरमाया जाय।

जांच समिति रिपोर्ट अनुसार रणधीसर पहाडी की तल हटी में खनन पट्टों की स्वीकृति दिया जाना बताया है।जंब तलहटी में लीजों की स्वीकृति दी गई तो पहाड़ कैसे गायब हुवे, छः शिखर पूरी तरह गायब कर दिया गया है।और 4–5 नम्बर शिखर का पूरा श्लोप खत्म कर दिया गया ।

तलहटी में स्थित भोलनाथ जी की समाधि, धर्मशाला के रक्षक एवं पूजारी जयचंद नाथ जी से पूछा जाये कि दिन में कितनी बार भागना पड़ता

है इन दोनों स्थानों पर पत्थर पडते रहते है और मरम्मत होती रहती है। बेचारा जयचंद नाथ जी रोते रहते है। यह दोनों स्थान तीन तरफ से घिरे हुवे है पूर्व, उत्तर, दक्षिण।

इनकी रिपोर्ट अनुसार 2005 से लेकर आज तक जितनी भी सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया है इन सारी सर्वे रिपोर्टो में अवैध खनन पाया गया अब इन्हें लीगल करने के लिए एवं अपनी खाल बचाने के लिए एक दिखावे रूपी जुर्माना कायम कर दिया जाता है। अवैध खनन करोड़ों में और जुर्माना लाखों में।

जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि होली धोरा का कोई सरकारी दस्तावेत नहीं मिला श्रीमान् सहायक खनि अभियन्ता चूरू सोहनलाल गुरू से पूछा जाय कि तुम्हारे गांव में होलिका दहन होता है उस स्थान का न्यायालय में सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाय।

जब से रणधीसर पहाड़ी पर खनन गतिविधियां शुरू हुई से लेकर आज तक जितने भी आदेश केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में स्पष्ट अंकित किया है कि सभी लीजों के चारों तरफ चार फुट ऊँची दीवार बनाने के पश्चात् ही खनन की अनुमति दी जाय।

उन्होंने अपनी जांच रिपोट्र में अंकित किया है कि कहीं तार बंदी है तो कहीं दीवार है मौके पर वर्तमान में पुनः निरीक्षण करवाये जाय तो निर्धारित माप दण्ड अनुसार कहीं पर दीवार नहीं है/और तार बंदी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तारबंदी के नीचे से बकरी तक निकल जाती है फिर वन्य जीव रेगनें वाले के जीवों की क्या हालत होगी।

इन्होंने अपनी जांच रिपोट्ट में अंकित की है कि वर्ष 1973 से यहां पर खनन गतिविधियां शुरू हुई तब से लेकर आज तक खनन माफियों ने खनन क्षेत्र में एक भी पेड़ नहीं लगाये दिनांक 01.06.2022 से 05.06.2022 के मध्य एनजीटी न्यायालय के भय से आनन–फानन में पेड लगाये जो अब अधिकांश पुनः मर गये है/और वे वापिस लापरवाह हो गये है/नियमानुसार हर एक लीज धारक को साल में 25 पेड़ लगाकर इनकी देखरेख की जिम्मेवारी है परन्तु सब नियम मिलीभगत की भेट चढ जाते है।

इन्होंने अपनी जांच रिपोट्ट में अंकित किया है कि मंदिर जाने वाली सीढियां के दोनों तरफ रैलिंग लगी हुई है आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है सहायक खनि अभियन्ता चूरू सोहनलाल गुरू से पूछा जाये कि उपर धरातल पर जाकर देखा था कि सीढियां एवं रैलिंग कितनी जगह से क्षतिग्रस्त है बीएसएनएल भवन, माताजी पानी कुण्ड, बावडियों के क्या हालत है । सालासर होटल में बैठकर जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित कर दी गई ।

रणधीसर पहाडी पर जब से खनन गतिविधियां शुरू हुई वहां से लेकर आज तक श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं , ना ही पंजीकरण है, ना ही इनकी बीमा है, और मरने तथा अपंग की स्थिति में इनकी और इनके परिवार के भरण पोषण की कोई गारन्टी नहीं है।

इन्होंने जांच में अंकित की है कि 17 खनन पटटे खनन सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक खान प्रबन्धक की उपस्थिति नहीं मिली/सहायक खनि अभियन्ता, चूरू सोहनलाल गुरू से पूछा जाय कि बाकी खानों में तकनीकी कार्मिकों को देखा था क्या। क्यों खानापूर्ति करते हो। ये लोग सिर्फ कागजों में ही ड्यूटी करते है और अपना वेतन

उठाते है हमें तो आज पता चला कि यहां पर ऐसे अजमेर से तकनीकी कार्मिक लगे हुवे है।

इन्होंने जांच में अंकित किया गया है कि खनन पटटों में सीमा स्तम्भ पाया गया । मेरा कहना है कि निर्धारित मापदण्ड अनुसार एक भी सीमा स्तम्भ नहीं है टिकाऊ/उठाऊ स्तम्भ है जब चाहे इधर उधर किया जा सकता है।

खनन पटटो में कही पर भी बोर्ड नहीं लगे हुवे है जो है उन्हें पढ नहीं सकते । बोर्ड ऐसा होना चाहिए जिस पर लीज नम्बर, क्षेत्रफल, मालिक का नाम, वर्तमान में यह बंद है या चालू

इन्होंने जांच में अंकित किया गया है कि वर्तमान में 25 खाने बंद है सहायक खनि अभियन्ता चूरू सोहनलाल गुरू को पूछा जाय कि सिर्फ कागजों में ही बंद है खनन यहां पर लगभग सभी खानों में चलता रहता है इनके मुहानों को दीवार से बंद करवाकर सील करना चाहिए । तब ही पता चल सकता है कि यह खानें बंद है ।

राजस्व पटवारी ग्राम पंचायत रणधीसर रिपोर्ट अनुसार आबादी क्षेत्र रणधीसर, रणधीसर नया बास (कुहाडियां बास), ढाणियां भैराराम बावरी, राजकीय प्राथमिक स्कूल रणधीसर के पास ही महज 1 किलोमीटर के अन्दर यह खनन गतिविधियां संचालित हो रही है जो नियम विरूद्ध है।

पहाड़ी क्षेत्र 68.63 हैक्टयर था जिसमें से 59.748 हैक्टयर वन भूमि को 42 लीज होल्डर केपक्ष में प्रत्यावर्तित कर खनन हेतु आरक्षित किया गया जिसका विभाजन इस प्रकार था।

1.	खनन एरिया	15.225 हैक्टेयर	
2.	क्रेसर एरिया	01.094 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
3.	रोड़ एरिया	00.099 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
4.	सेफ्टी जॉन एरिया	04.000 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
5.	स्टोरियग एरिया	06.020 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
6.	डम्पिंग यार्ड एरिया	23.088 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
7.	रेस्ट एरिया	14.089 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट
8.	फोरेस्ट परपज हेतु शेष	8.882 हैक्टेयर	अवैध खनन की भेट

वन विभाग की भूमि भी भ्रष्टाचार की भेट चढ गई और अब वन विभाग के अधिकारी लिख रहे है कि फोरेस्ट परपज लैण्ड भूमि का कोई पता नहीं चल रहा है जो है उन्हें सुपुर्द कर दी जाय।

1. इतनी गहरी खानों में एलएनटी मशीन, जेसीबी मशीन, लोडर ट्रेक्टर उतारने की अनुमति नहीं है, ड्राईवर प्रशिक्षिणशुदा नहीं है, इनके पास लाईसेंस नहीं है। लाईसेंस की श्रेणियां मशीनरी अनुसार अलग–अलग होती है कोई जांच नहीं, सुरक्षा/जीवन सम्बन्धी डेटा नहीं ।

2. ड्रील मशीन को ऑपरेट करने वाले श्रमिक प्रशिक्षणशुदा नहीं इनकी सुरक्षा/जीवन सम्बन्धी कोई डेटा नहीं।

3. ड्रील छिद्रों में कितनी मात्रा में बारूद भरना है कोई तकनीकी कार्मिक नहीं, बिना ज्ञान के बारूद भरकर ब्लास्ट करते रहते है। जिनके धमाकों से सभी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. इतनी गहरी खानों में जो डम्पर गाडियां उतारने वाले ड्राईवर प्रशिक्षणशुदा नहीं है। इनके पास लाईसेंस नहीं है। लाईसेंसों की जांच करने वाले कोई नहीं है सुरक्षा की लिहाज से शुन्य है।

5. श्रमिकों का श्रमिक कार्यालय में पंजीकरण नहीं है श्रमिक नियमावली अनुसार एक भी नियम की पालना नहीं की जा रही है।

6. इतनी गहरी खानों की पुनः भरपाई कैसे होगी सहायक खनि अभियन्ता चूरू से एक खान जो कोई भी बंद है पुन भरपाई करवाई जाय।

7. क्रेशर मशीनों पर उड़ने वाली डस्ट नियंत्रण के कोई उपाय नहीं है और जांच करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती है नियमानुसार एक भी क्रेशर स्थापित नहीं है।

विकल्प नम्बर 1

श्रीमान् हमें सिर्फ न्यायापालिका पर ही विश्वास है अधिकारियों को बार–बार शिकायतें करने का कोई औचित्य नहीं है। कारण कि वे सरकार से पगार पाते है इसलिए वे लोग सरकार और अपने हित में ही काम करेंगें। इनसे कोई उम्मीद नहीं है ।

विकल्प नम्बर 2

भरतपुर सीकरी ग्राम पसोपा में स्थित पहाडियां आदि बद्री कनकांचल पर्वतों को बचाने के लिए 550 दिनों से साधु संत धरने पर बैठे थे। कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बाबा विजयदास ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जब जाकर यहां पर अवैध खनन बंद हुआ है। अब यहां पर भी जयचंद

नाथ जी महाराज एवं स्थानीय समुदाय भागते–भागते थक चुके है कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा है। अब इनका मानस भी इसी ओर अग्रसर है ।

श्रीमान् रणधीसर पहाडियों पर इन अधिकारियों के दस्तावेजों अनुसार वर्ष 2009 से पहले अवैध खनन चल रहा था। लीगल खनन का कोई स्थान शेष नहीं बचा था।

फिर भी भौगोलिक स्थिति का जायजा लिये वगैहर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने आंखे मूंद भ्रष्टाचार, लिप्त होकर दिनांक 20.06.2011 को पुनः उन्हीं खानों में आगामी 20 वर्षों तक के लिए जो खनन का आदेश दिया है । इसका दुंगामी परिणाम भंयकर होने वाला है। इस आदेश को तुरन्त अपास्त कर इस अवैध खनन पर तुरन्त रोक लगाई जाकर क्षेत्रवासियों को न्याय दिलाया जाय।

संलग्न दस्तावेज :

1. मूल आपत्ति प्रार्थना पत्र पृष्ठ 1 से 10
2. मूल नक्शा एवं हालत मौका संवत् 1965 पृष्ठ 3
3. मूल नक्शा एवं हालत मौका संवत् 2079 पृष्ठ 4
4. मूल अखबार कटिंग राजस्थान पत्रिका संस्करण दिनांक 20.07.2022 से 28.07.2022 तक पृष्ठ 8
5. एफ आई आर फोटो प्रति नम्बर 33 दिनांक 14.03.2022 पृष्ठ 4

(6) हलफनामा प्रार्थी द्वारा का मूल – योग 30 पृष्ठ

प्रार्थी

मेघसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
जाति राजपूरोहित
निवासी गांव रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू वर्तमान पुगल रोड़, हनुमान मंदिर के पीछे, मौहल्ला बंगलानगर वार्ड नम्बर 20, बीकानेर (राजस्थान)–334001
मो.नं. 9468566124

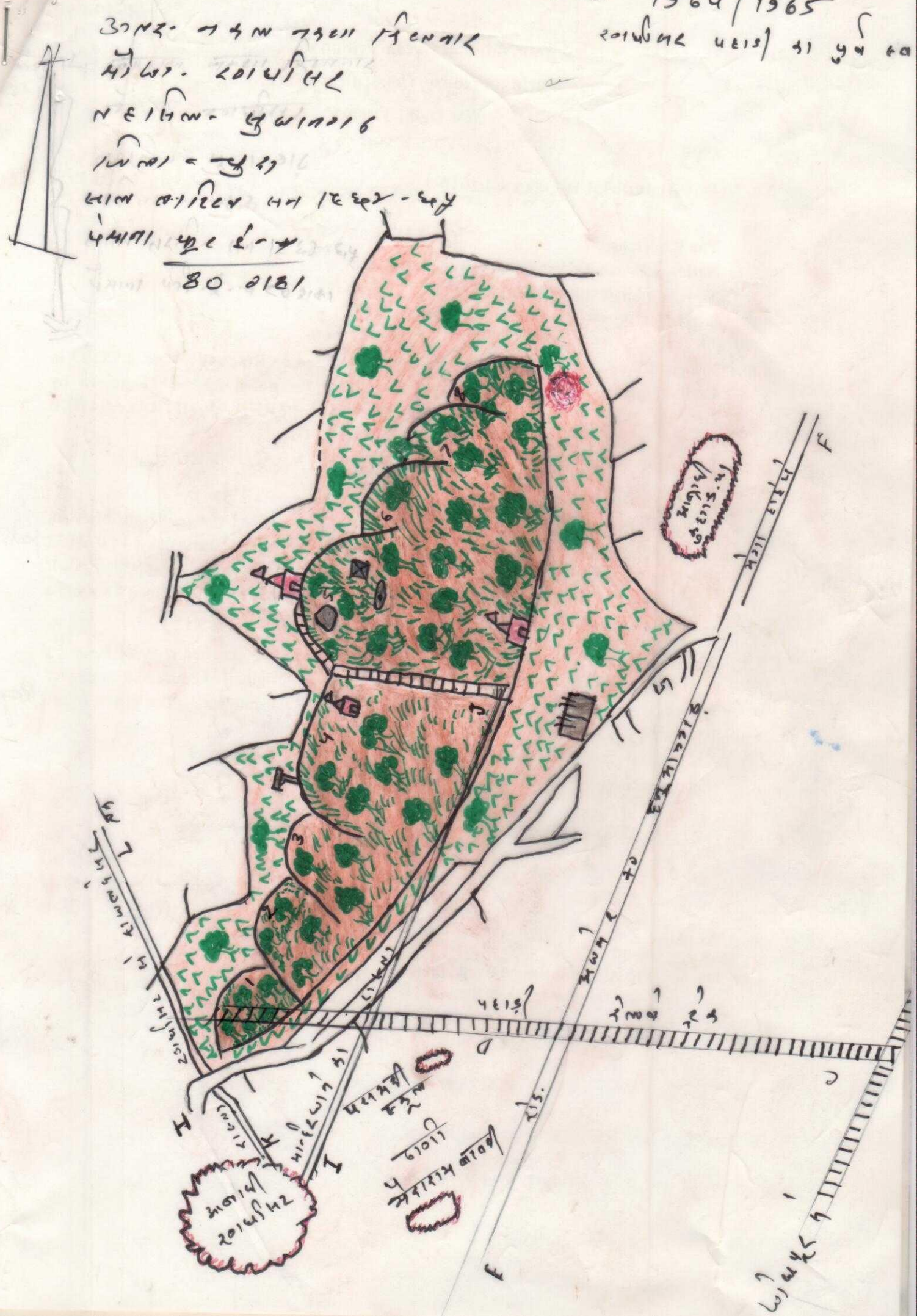

श्रीमान्,

हालात नक्शा मौका खाखीसर पहाड़ी वर्ष / जमाबन्दी 1964/1965 ग्राम पंचायत खाखीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राजस्थान /

(1) नक्शा में सम्पूर्ण चारागाह क्षेत्रफल खाखीसर पहाड़ी को दर्शाया गया है।

(2) इस क्षेत्रफल के अन्दर नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, से खाखीसर पहाड़ी के शिखर दर्शाया गया है यह पहाड़ियां थी।

(3) नक्शा में पूरा पहाड़ एवं पहाड़ का क्षेत्रफल - 68.6117 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है / यह रिपोर्ट हल्का पटवारी ग्राम पंचायत खाखीसर ने दिनांक 6.6.22 को स्थानीय प्रशासन को प्रस्तुत की थी प्रशासन ने वही रिपोर्ट आप श्री मान को प्रेषित की गई है अवलोकन करवाया जाए /

(4) नक्शा में पहाड़ / चरा क्षेत्र से पेड़ पौधे घास फूस हरियाली दर्शायी गयी है जो बिना अतिक्रमण दिखाई दे रहा है और स्थानीय पशु धन वन्य जीव विचरण करते थे और अपना पेट भरते थे /

(5) नक्शा में से मन्दिर एवं भोलेनाथ की समाधि दर्शाया गया है

(6) नक्शा में से BSNL टावर दर्शाया गया है

(7) नक्शा में ⊠ से बावड़ी दर्शाया गया है

(8) नक्शा में ◎ से पानी का कुण्ड दर्शाया गया है

(9) नक्शा में ■ से हवन कुण्ड दर्शाया गया है

(10) नक्शा में से तलहटी में धर्मशाला दर्शायी गई है

(11) नक्शा में से होली धोरा होल दर्शाया गया है

(12) नक्शा   में पहाड़ी पर चढ़ने वाली सीढ़ियां दर्शायी है।

(13) नक्शा में A से B तक जोधपुर से दिल्ली जाने वाला रेलवे ट्रेक दर्शाया गया है।

(14) नक्शा में C से D तक इसी ट्रेक से फंट कर रेलवे ट्रेक स्वाधिसर पहाड़ी के अन्दर जाने वाला दर्शाया गया है।

(15) नक्शा में E से F तक अजमेर से हनुमानगढ़ जाने वाली मेगा हाईवे रोड दर्शाया गया है।

(16) नक्शा में G से H तक इसी मेगा हाइवे रोड से फंट कर रोड स्वाधिसर पहाड़ी के अन्दर जाने वाली दर्शाया गया है।

(17) नक्शा में I से J तक आबादी सेड़ा स्वाधिसर ग्राम से मालाजी मन्दिर जाने वाला आम रास्ता दर्शाया गया है।

(18) नक्शा में K से L तक आबादी सेड़ा स्वाधिसर ग्राम से राजलदेसर जाने वाला आम रास्ता दर्शाया गया है।

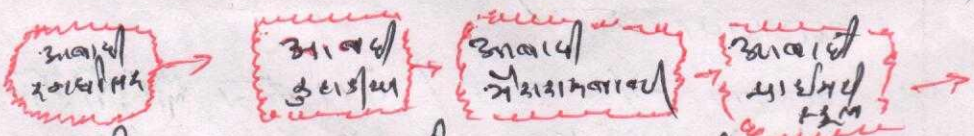

(19) नक्शा में [आबादी स्वाधिसर] → [आबादी कुहाड़िया] → [आबादी जैसारामवाली] → [आबादी आईमाती स्कूल] →
से आबादी स्वाधिसर ग्राम, कुहाड़िया बास, नाथों जैसाराम वाली और आईमाती स्कूल संचालन दर्शाया गया है।

नक्शा के हालात निरीक्षण से

चुके के बाद अवलोकन मौकिल पमावली किया जाय।

मौका देखा

प्रार्थी

[signature] दास पुरोहित

ग्राम स्वाधिसर

N

2079 / 2080
N
F
D
H
I

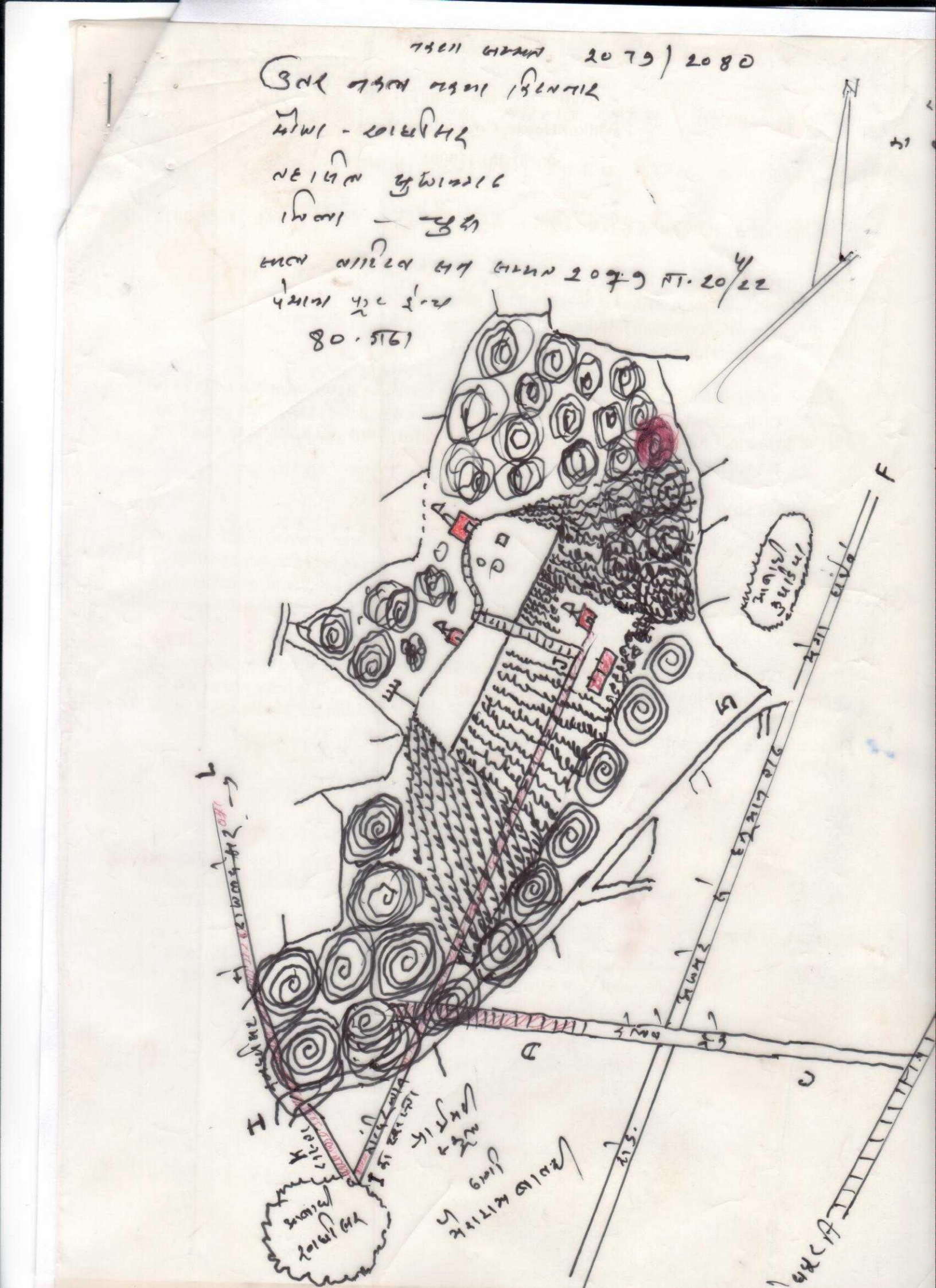

श्रीमान

हालात नक्शा मौका रणधीसर पहाड़ी - वर्ष / सम्वत 2079 / 2080 ग्राम पंचायत रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राजस्थान /

(1) नक्शा में सम्पूर्ण चारागाह क्षेत्रफल रणधीसर पहाड़ी को दर्शाया गया है /

(2) इस क्षेत्रफल के अन्दर नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, से रणधीसर पहाड़ी के शिखर दर्शाया गया है यह पहाड़ियां थी /

(3) नक्शा में पुरा पहाड़ एवं पहाड़ का क्षेत्र फल 68-6117 हेक्टेयर रिकॉर्ड गैर मुमकिन पहाड़ वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रेकार्ड में आज भी दर्ज है / यह रिपोर्ट हलका पटवारी ग्राम पंचायत रणधीसर ने दिनांक 6-6-22 को स्थानीय प्रशासन को प्रस्तुत की है प्रशासन ने वही रिपोर्ट आप श्रीमान को प्रेषित की है मुलाहिजा फरमाया जाय /

(4) नक्शा में पहाड़ का पुरा क्षेत्र कालांतर में हरा भरा रहता था / आज वही क्षेत्र है जिसमें इन्सान प्रवेश करने के लिए कतराता है / स्थानीय समुदाय को अपने मुवेशियों का पुरा ध्यान रखना पड़ता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी यह वर्तमान के हालात है /

(5) नक्शा में   से मन्दिरों एवं धर्मनाथ जी की समाधी दर्शायी गई है / यह शिखर सालासर मन्दिर के कारण ही बचा है बाकी कुछ पैर, सीमा पुरा खोखला कर दिया गया है

भोलनाथ जी की समाधि पर रोज पत्थर
पड़ते रहते हैं और रोज मरम्मत होती रहती है
पुजारी बेचारा जयचन्द नाथ जी अकेला रहता
है। और कर ही क्या सकता है।

(6) नक्शा में   से BSNL टावर दर्शाया गया है
इसका भी कोई चार्ज चौकी नहीं है। इस पहाड़ी
का रौब भी इसी टावर की वजह से बचा
हुआ है।

(7) नक्शा में   से बावड़ी दर्शाया गया है यह
अब नाम मात्र की बावड़ी रही है। पत्थरों से
भर चुकी है और नकारा हो चुकी है।

(8) नक्शा में   से पानी का कुण्ड दर्शाया गया है
यह भी पत्थरों से फूट चुका है नाकारा हो चुका है
यानी अपना पानी साथ लेकर जायें।

(9) नक्शा में   से हवन कुण्ड दर्शाया गया है

(10) नक्शा में   से धर्मशाला दर्शाया गया है
इस पर भी पत्थर पड़ते रहते हैं और मरम्मत
होती रहती है यानी कोई अन्दर जाना नहीं
कारण की एक पत्थर आकर गिर जाये।

(11) नक्शा में   से होली चौरा दर्शाया गया है
कि जगह को भी यह अगर आबादी किसी के नाम
लिख आवंटन करना मालूम हुआ है इसलि.
श्री. पुजारी ने तर्क किया कि जिस जगह को स्थानीय लोग
होली चौरा बता रहे हैं का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं
मिला है इसके कोई पूछने वाला होना चाहिए कि
आप के गाँव में कहा होली का दहन होता है

उस स्थान का सरकारी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय/

(12) नक्शा में   से मन्दिर जाने वाली सिढ़िया दर्शाया गया है इन सीढ़ियों के पास कई "1" मन्दिर तो कई "2" मन्दिर की जगह शेष बचती है बाकी एक तरह से दिवार बना दी गई है और जगह जगह से सीढ़ि क्षतिग्रस्त हो गई है

(13) नक्शा में   से भूगर्भीय खनन की खदान दर्शायी गयी है जो इतनी गहरी हो गयी है की नीचे से पानी आना शुरू हो गया है सर्वेयर स्वयं आगे शुरू होने वाले गुफा से पूछा जाय कि इसकी पुनः भरपाई कैसे होगी/

(14) नक्शा में A से B तक जोधपुर से दिल्ली जाने वाला रेलवे ट्रेक दर्शाया गया है

(15) नक्शा में C से D तक इसी ट्रेक से पार कर रेलवे ट्रेक रणथीसर पहाड़ी के अन्दर जाने वाला दर्शाया गया है। परन्तु वर्तमान में यह ट्रेक हटा लिया गया है परन्तु ट्रेक भूमि अभी भी रेलवे के आधिपत्य है में भी अवैध खनन जारी है/

(16) नक्शा में E से F तक अजमेर से हनुमानगढ़ जाने वाली मेगा हाईवे रोड, दर्शाया गया है

(17) नक्शा में G से H तक इसी मेगा हाईवे रोड से पार कर रोड, रणथीसर पहाड़ी के अन्दर जाने वाली

दर्शाया गया है परन्तु वर्तमान में इस रोड का नामो निशान ही नही है पुरे दीन आवागमन में प्रदूषण उडता रहता है यह रोड PWD विभाग के आधीन है परन्तु यह विभाग इस रोड रैन की सुध नही लेता कारण ही इससे पैसा नही मिलता। खनन माफियों ने अपना फायदा उठाकर इस रोड रैन को ही परिवर्तितकर अवैध खनन जारी है।

(18) नक्शा में I से J तक आबादी क्षेत्र स्थापित ग्राम से मातानी मन्दिर जाने वाला आम रास्ता दर्शाया गया है वर्तमान में इस रास्ता का नामों निशान मिटा दिया है यह रास्ता भी इस अवैध खनन के अन्दर चला गया और स्थानीय समुदाय देखते रह गये किसी ने शिकायत नही सुनी।

(19) नक्शा में K से L तक आबादी क्षेत्र स्थापित ग्राम से घाटी जाने वाला आम रास्ता और राजलदेसर जाने वाला दर्शाया गया है वर्तमान में यह रास्ता भी अवैध खनन के अन्दर चला गया। यह रास्ता संबंधित लीज मांगीलाल S/O छोटाराम नायक स्थापित से होकर गुजरता था मांगीलाल ने वर्ष 2014 से पहले ही अपनी लीज सरेण्डर कर दी थी। यह लीज आज भी मांगीलाल के नाम ही बोल रही थी उस लीज में वर्ष 2014 से हरिराम ढिलका आवेदक ने अवैध खनन सहायक खनि० अभि० चूरू से मिलकर किया और इस रास्ते को गायब कर दिया गया और जन समुदाय आने की सुविधा से मिलने को मजबूर है।

20) नक्शा में आबादी रणधीरपुर | आबादी कुम्हाड़िया | आबादी मेहराम बावड़ी | आबादी प्राइमरी स्कूल

से आबादी रणधीरपुर, आबादी कुम्हाड़िया बास, आबादी मेहराम बावड़ी, आबादी प्राइमरी स्कूल रणधीरपुर, दर्शाया गया है इन आबादियों के पास ही यह अवैध खनन, क्रेशर संचालन, बारूद ब्लास्ट होता है इसके विभिन्न प्रदूषणों के द्वारा, वन्य एवं स्थानीय निवासी, पशु धन, जनजीव, स्थानीय समुदाय के मकानों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इन्हें तुरन्त बंद करवाया जाकर स्थानीय समुदाय को न्याय प्रदान किया जाए।

21 नक्शा में से दर्शाया गया है रणधीरपुर पहाड़ी को चारों ओर से इस तरह खोखला कर दिया गया इनके पास जाकर देखने वालों के लिए चौंकाने वाले हैं की इस पहाड़ की कैसी दुर्गति की है सम्वत 1965 नक्शा में 100% प्रतिशत दिखने वाला पहाड़ वर्तमान नक्शा सम्वत 2079 में   एक पट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है बस इतना पहाड़ बचा है बाकी चारों तरफ खोखला कर दिया गया और पार दिखाई देने लगा है

नक्शा के हालात निवेदन हो चुके हैं बाद मुलाहिजा शामिल फाइल सुनवाई की जाए।

प्रार्थी

[signature] मेघसिंह

मेघसिंह S/O नवरतसिंह

रावत पुरोहित ग्राम रणधीरपुर

94685-661[illegible]

20-7-22 पत्रिका बीकानेर

नोट:- ऊपर वाला पेज पीछे वाला सेमी पेज का मुलाहिजा किया जाए

20 जुलाई पा

राजस्था

बीकानेर, बुधवार, 20 जुलाई,

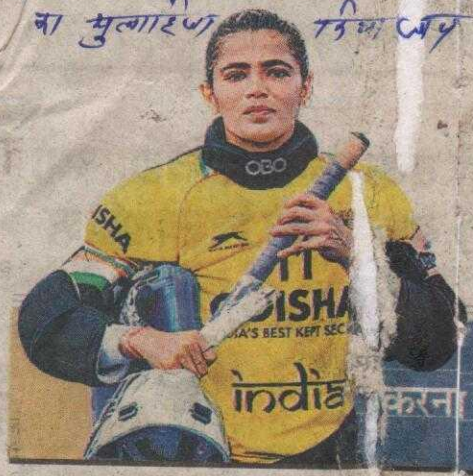

ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व समाप्त करना होगा भारतीय टीम का लक्ष्य

@स्पोर्ट्स &गेमिंग

खनन माफिया बेलगाम | हरियाणा के नूंह जिले में निर्ममता

अरावली पर 'आरी' चलाने वालों ने डीएसपी को डंपर से कुचला

अवैध खनन का मामला फिर गरमाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चंडीगढ़. अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन माफिया कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले में इस माफिया के गुर्गों ने मंगलवार को डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन का मामला फिर गरमा गया है। घटना नूंह जिले के तावडू क्षेत्र के गांव पचगांव की है।

डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई को गांव से सटी पहाड़ी पर अवैध खनन की सूचना मिली थी। मंगलवार सुबह 11 बजे वह टीम के साथ पहुंचे। पहाड़ी के पास खड़े लोग भागने लगे। डंपर रोकने के लिए डीएसपी आगे आए तो चालक उन्हें वाहन से कुचलकर भाग गया। विश्नोई हिसार के रहने वाले थे। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने डंपर चालक इकरार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। नूंह पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा। उसके पैर में गोली लगी है। डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने बताया कि बाकी आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने डीएसपी के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी व डीएसपी को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है।

फर्ज के लिए शहीद

नूंह में मंगलवार को डीएसपी की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी।

4,046 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र तबाह हुआ पिछले आठ साल में गुरुग्राम में।

3,676 वर्ग किलोमीटर जमीन (राज्यों में कुल अरावली वन क्षेत्र का करीब 5 फीसदी) बंजर हो गई 1975 से 2019 के दौरान।

3,676 वर्ग किलोमीटर (करीब 8%) घटा अरावली का वन क्षेत्र।

स्रोत: एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट

गुजरात, राजस्थान से हरियाणा तक

दिल्ली में खत्म होने वाली अरावली की पहाडियां गुजरात और राजस्थान से लेकर हरियाणा के दक्षिणी इलाके तक फैली हुई हैं। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जैसे इलाके इसमें आते हैं। विकास और अंधाधुंध निर्माण ने अरावली की पारिस्थितिकी को गहरे जख्म दिए हैं।

36 साल में खनन क्षेत्र 587% बढ़ा

एक रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद जिले में 1970 से 2006 के बीच लैंड यूज बदलने और खनन गतिविधियों से इलाके में बदलाव देखा गया। इन 36 साल के दौरान शहरी क्षेत्र में 310.8 फीसदी और खनन क्षेत्र में 587.9 फीसदी की वृद्धि हुई। इससे वनस्पतियों और भूगर्भ जल स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ा।

पहले भी घटनाएं

20 जुलाई, 2010: गिर के जंगलों में खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर आरटीआइ एक्टिविस्ट अमित जेठवा की अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट के बाहर हत्या।

8 मार्च, 2012: मुरैना (एमपी) में आइपीएस और प्रशिक्षु एसडीओपी नरेंद्र सिंह को खनन माफिया ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर मार डाला।

7 सितंबर, 2018: मुरैना में ही रेत खनन माफिया ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाह को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया।

2020: उत्तर प्रदेश के आगरा में माफिया के गुर्गों ने एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान ली।

2020: रायगढ़ (छत्तीसगढ़) जिले के टिमरलगा क्षेत्र में प्रशिक्षु आइएएस मयंक चतुर्वेदी को खनन माफिया वे वाहन से कुचलने का प्रयास किया।

2021: जांजगीर (छत्तीसगढ़) के ग्राम नवागांव में तत्कालीन एसडीएम मेनका प्रधान पर रेत माफियाओं ने की हमले की कोशिश।

5 जनवरी, 2022: मुरैना में खनन माफिया ने एसडीएम को उनके सरकारी वाहन समेत कुचलने का प्रयास किया।

2 साल में 193 की हत्या

साउथ एशिया नेटवर्क के 2020 के डेटा के मुताबिक अवैध खनन का विरोध करने के मामलों में जनवरी 2019 से नवंबर 2020 के दौरान भारत में 193 लोगों की जान गई। इनमें से सबसे ज्यादा 95 मौतें उत्तर भारत में हुईं।

21-7-2022 पत्रिका कार्यालय बीकानेर

21-7

य एषु सुप्तेषु जागर्ति | वर्ष 35 | अंक 343 | पृष्ठ 16 | मूल्य 5.50 | बीकानेर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 | श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी संवत् 2079

राजस्थान पत्रिका

ये जखम कभी नहीं भरेगा

अजमेर जिले के खरेखड़ी गांव से बेखौफ खनन माफिया ने ... पंजे से छलनी कर दिया पहाड़

केबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का आश्वासन: 15 दिन में दोन

खनन की जल

बाबा 85% झुलसे, 31 घंटे बाद नारायण दास को टावर से उतारा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

डीग . भरतपुर . आदिबद्री व कनकांचल पर्वत को खनन मुक्त

लपटों में घिरे बाबा, पुलिसकर्मियों ने बचाई जान...

२१-७-२२ पत्रिका कार्या बीकानेर

21-7-22

पत्रिका | हाल-ए-अवैध खनन | 06 | राजस्थान पत्रिका pat
patrika.com
बीकानेर, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022

खनन माफिया बेकाबू | सरकार को राजस्व का नुक

निगले पहाड़...पी गए ब

■ राजस्थान के 29 जिलों में पनपा खनन माफिया

■ प्रतिबंधित वन क्षे अवैध खनन नहीं रुक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अवैध खनन माफिया ने पूरे राजस्थान को ही अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां धड़ल्ले से अवैध खनन नहीं हो रहा है। प्रदेश के 33 में से 29 जिले ऐसे हैं जहां अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन की आड़ में खनन माफिया तो पनप रहा है, लेकिन सरकार और जनता के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है। चार साल में ही सरकार को करीब 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में बजरी का अवैध खनन भारी मात्रा में हो रहा है। 11 जिले ऐसे हैं, जहां नदी में कई जगह अवैध खनन किया जा रहा है। बजरी के साथ ही फेल्सपार, क्वार्टज, मेसनरी स्टोन, सेंड स्टोन, जिप्सम, आयरन अयस्क, मार्बल, लाइम स्टोन, गारनेट का भी बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। सरकार, पुलिस, खान विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन अवैध खनन पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इसी का परिणाम है कि सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही लोगों की जान पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में अवैध खनन एक नासूर बीमारी बन गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और एनजीटी के आदेश भी बिसराए जा रहे हैं।

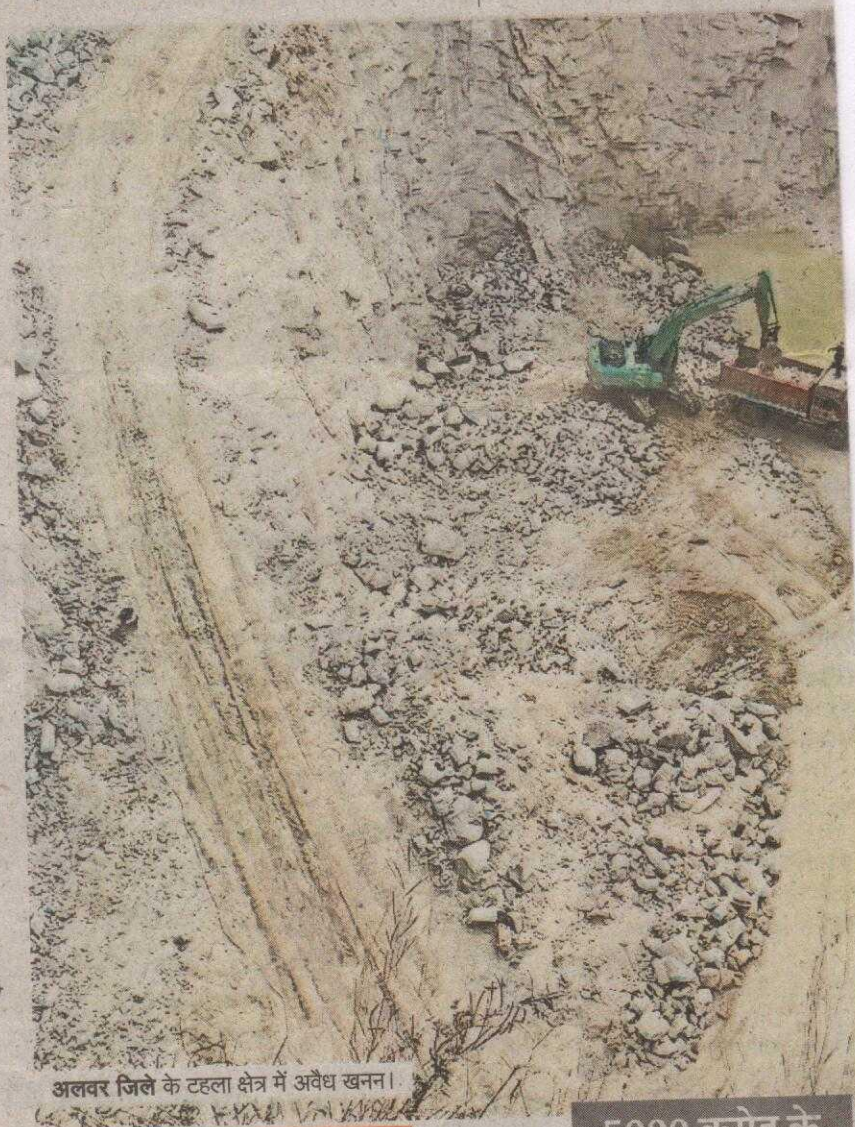

अलवर जिले के टहला क्षेत्र में अवैध खनन।

खनन से बाणगंगा नदी का बिगड़ा स्वरूप

5000 करोड़ के राजस्व का नुकसान!

खान विभाग ने राजस्व के लिए जो टारगेट तय किया था अवैध खनन ने उसे भी जोरदार झटका दिया है। 2017 से लेकर 2020 तक खान विभाग तय राजस्व

ड्यूटी पर हमला : अब झारखंड और गुजरात में हरियाणा जैसी घटनाएं

अब 2 पुलिसकर्मियों को कुचला

26 घंटे में पुलिस ने खोए 3 कर्मठ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

आणंद/ रांची. हरियाणा के बाद झारखंड व गुजरात में एक-एक पुलिसकर्मी की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। पिछले 26 घंटे में तीन पुलिस वालों की हत्या ने सरकार और अधिकारियों की नींद उड़ा दी है।

गुजरात के आणंद जिले के बोरसद में मंगलवार देर रात राजस्थान से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल किरण राज को कुचल दिया। वसाड-बागोडारा हाईवे पर किरण राज ने तेज रफ्तार ट्रक को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की थी। ट्रक नहीं रुका तो कांस्टेबल ने ओवरटेक कर अपना वाहन खड़ा कर दिया। ट्रक रोकने की बात कहने पर चालक ने वाहन उन पर चढ़ा दिया। किरण राज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

राजस्थान पासिंग का ट्रक जब्त

आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक अजित राजियान के मुताबिक पुलिसकर्मी पर ड्यूटी के दौरान बोरसद की घटना जान-बूझकर किया गया अपराध है। राजस्थान पासिंग का ट्रक पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद फरार ट्रक चालक गोपीराम मीणा को ट्रांसपोर्ट मालिक ने बोरसद थाने में हाजिर कराया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भरूच से केमिकल लेकर यह ट्रक सौराष्ट्र की ओर जा रहा था। आरोपी चालक के खिलाफ आइपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रांची की घटना के पीछे पशु तस्कर

झारखंड की राजधानी रांची में पशु तस्करों ने बुधवार तड़के महिला सब-इंस्पेक्टर टोपनो को चेकिंग के दौरान कुचल दिया। टोपनो तुपुदाना ओपी की प्रभारी थीं। उन्हें सूचना मिली थी कि जानवरों से लदी एक पिकअप उनके इलाके से जा रही है। चेकिंग के दौरान वह पिकअप वैन रुकवा रही थीं। तभी वैन ने उन्हें कुचल दिया। वैन आगे जाकर पलट गई। पुलिस ने चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

यह सुनियोजित साजिश : मुंडा... रांची की घटना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया कि यह सुनियोजित साजिश लग रही है। प्रशासन मामले में गंभीरता दिखाए।

बनते ही सब अपने आप को नेता मौजूद रहे।

अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक

खनन माफिया की पहचान कर बनाएं सूची : मुख्यमंत्री

जयपुर @ पत्रिका. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस खान सुबोध अग्रवाल, एसीएस गृह अभय कुमार समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

साधु के आत्मदाह के प्रयास पर भाजपा नेताओं ने कहा

'राजस्थान सरकार की हठधर्मिता की खुली पोल'

जयपुर @ पत्रिका. भरतपुर में अवैध खनन मामले में साधु के आत्मदाह के प्रयास पर भाजपा नेताओं ने सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया देर शाम सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती साधु के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। पूनिया ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ साधु-संतों और आम जनता में आक्रोश है। बृज के कामां क्षेत्र में पिछले 551 दिनों से अवैध खनन के खिलाफ साधु समाज का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन पर संज्ञान नहीं लेना शर्मनाक है। इस आत्मदाह के प्रयास ने राजस्थान सरकार की हठधर्मिता और मुद्दों के समाधान नहीं करने की पोल खोल दी है।

अवैध खनन को बंद कराने की साधु-संतो की मांग पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक संत का आत्मदाह का प्रयास इसी का परिणाम है। ये कैसी विडम्बना है कि रोक के बाद भी वहां अवैध खनन हो रहा है और साधु-संतों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार ने यदि इस विषय की गम्भीरता से लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की गहलोत सरकार जिम्मेदार है। **-वसुन्धरा राजे**, पूर्व मुख्यमंत्री

अवैध खनन के खिलाफ 551 दिन से चल रहे संतों के आंदोलन से आहत हो साधु का आत्मदाह का प्रयास करना सरकार पर कलंक है। **-किरोड़ीलाल मीना,** राज्यसभा सांसद

संतों ने प्रशासन को पूर्व में ही आत्मदाह की चेतावनी दी थी, इसके बावजूद प्रशासन ने साधु-संतों से सकारात्मक वार्ता नहीं करके आंदोलन को खत्म नहीं कराया। **- राजेन्द्र राठौड़,** उपनेता प्रतिपक्ष

'पीएफआइ व सिमी जैसे संगठन स्थापित कर चुके नेटवर्क'

चूरू @ पत्रिका. उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की हालत तो ऐसी हैं कि इनके मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा व अशोक चांदना सरकार को ही ललकारते हैं।

सत्तापक्ष के विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राठौड़ ने बुधवार को एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में आतंकी संगठन पांव पसार रहे हैं। एनआइए की जांच से साबित हो रहा है कि राजस्थान में पीएफआइ और सिमी जैसे संगठन नेटवर्क स्थापित कर चुके हैं और वो प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

22-7-22 / 23-7-22 पत्रिका कटिंग बीकानेर

आस्था का मान : 749.44 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को मिली

22-7-22 पत्रिका कटिंग बीकानेर

भरतपुर : पवित्र आदिबद्री व कनकांचल पर्वत अब वन संरक्षित क्षेत्र घोषित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भरतपुर . सीकरी व नगर इलाके में स्थित पवित्र आदिबद्री व कनकांचल पर्वत को अब वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। आदेश के अनुसार सीकरी तहसील के सात राजस्व गांव की 662.25 हेक्टेयर और पहाड़ी तहसील के दो राजस्व गांव की 87.19 हेक्टेयर जमीन मिलाकर 749.44 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को ट्रांसफर की गई है। वन विभाग यहां पेड़-पौधे लगाएगा।

इधर, गांव पसोपा में धरने के दौरान मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले बाबा नारायण दास और खुद को आग लगाने वाले बाबा विजय दास के खिलाफ खोह थाने में आइपीसी की धारा 309 में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि कुछ लोगों पर साधुओं को उकसाने और सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है। मामले की जांच डिप्टी एसपी आशीष कुमार को सौंपी गई है।

जयपुर . बाबा को दिल्ली रवाना करती डॉक्टरों की टीम।

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर से साढ़े तीन घंटे में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाए गए संत विजय दास को राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्रीरज... श्रीवास्तव ने रिसीव किया। अस्पताल की विख्यात बर्न यूनिट में संत का उपचार चल रहा है। प्रमुख आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने बताया कि संत के इलाज की नई दिल्ली में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

23-7-22 कटिंग पढी जाय/ यहां पर भी यही हाल है/

23-7-2022 बीकानेर पत्रिका

BIKANER PRIM...
पत्रिका बीकानेर प्रा...

कैमरे के सामने फर्जीवाड़ा : ट्रक मालिकों के ऑनलाइन चेक करने पर उड़े

'तीसरी आंख' में झोंक रहे धूल, ट्रक के ...

पत्रिका एक्सपोज

जयप्रकाश गहलोत
patrika.com

बीकानेर. सरकार ने हर जगह तीसरी आंख (कैमरे) इसलिए लगाई ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगे और सिस्टम में पारदर्शिता आ सके। लेकिन अब लोग इस तीसरी आंख में भी धूल झोंक गड़बड़ी कर रहे हैं। कैमरे के सामने फर्जीवाड़े का यह खेल ई-रवन्ना में खुलेआम खेला जा रहा है। ई-रवन्ना ठेका फर्म कुछ ट्रक चालकों से मिलीभगत कर ट्रक मालिकों को चूना लगा रही है।

ट्रक और ई-रवन्ना पर्ची में अलग-अलग नम्बर होने का मामला पकड़ में आने के बाद खान विभाग

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINING & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ07GD6393 is having Transit Pass No. BNHG1018804848 (Confirmed) which expires on 06-Jul-2022 11:33:04 AM

Generated on	: 06-Jul-2022 09:33:04 AM	Consignee Name	: WHITE CRYSTALS (Khara)
Confirmed on	: 06-Jul-2022 09:52:51 AM	Consignee Address	F-339, M/S White Crystals, Khara, Industrial Growth Centre, Bikaner, Khara, Bikaner, Bikaner, 334001
Name of the Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	: MPS MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED	Approximate Distance	: 150
Location	: BALLAR KHASRA 27-28 BLD 158/24(Ballar Barani/Khajuwala/Bikaner)	Bridge Name	MA HINGLAJ ROYALTY DHARMKANTA(2018081201709)/27-28 BLD, BALLAR
Mineral	Gypsum (Raw / NS)		
Net Mineral Weight	: 43.77 MT		
Tare Weight	: 13.73 MT		
Driver Details	: TEJA RAM(Mob No : 9166895619)		

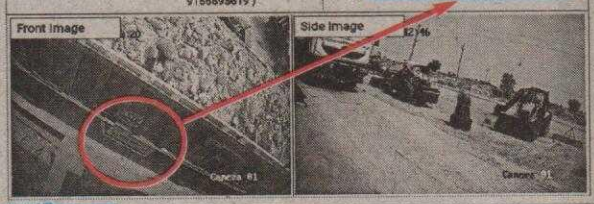

आरजे 07 जीई 4863

एक नहीं, कई मामलों में ...

निर्मल विश्नोई के डम्पर-ट्रेलर के नंबर... निर्मल ने दो दिन पहले खान विभाग की... किया, तब पता चला कि ओवरलोड का... चालान बन रहा है जो मार्च को निकले... गए। तब उसने पता किया तो बेहद हैर... ई-रवन्ना पर्ची में ट्रक के नंबर उसके है... की है। फोटो में जो ट्रक आ रहा है, उ... आरजे 07 जीडी 9193, आरजे 07 जी... 0593, आरजे 07 जीडी 8193, आरजे... जिनके फर्जी ई-रवन्ना काटे गए हैं।

23-7-22 / 24-7-22 पत्रिका बीकानेर

मुख्यमंत्री गहलोत ने एसीएस को फटकार लगाते हुए कहा...

23-7-22 पत्रिका बीकानेर

'अवैध खनन नहीं रुक रहा, मुझे वीसी करनी पड़ रही है'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य में कानून व्यवस्था और अवैध खनन के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आ रही सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी सप्ताह हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को फटकार लगाई। इस फटकार का असर यह रहा कि पिछले दो दिन से सचिवालय के हर महकमे में उच्च अधिकारियों ने जिलों तक निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए। भरतपुर में अवैध खनन मुद्दे पर साधुओं के आंदोलन और एक संत के आत्मदाह के प्रयास पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अवैध खनन मुद्दे पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को यहां तक कहा कि अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री को इस विषय पर वीसी करनी पड़ रही है। साथ ही विभागीय अनियमितताओं पर खरी-खोटी सुनाई गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री के गृह विभाग में अधिकारियों में चर्चा है कि थोड़ी भी लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। भरतपुर मामले में शुक्रवार को अवैध खनन पर कार्रवाई इसके असर के रूप में देखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक करें खनन माफियाओं पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। साथ ही भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गौरव यात्रा में शामिल होंगे पूनिया

जयपुर. द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष में वागड़ क्षेत्र में गौरव पदयात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल होंगे। पूनिया जनजाति समाज की ओर से 24 व 25 जुलाई को 41 किमी लंबी पदयात्रा में साथ रहेंगे। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि पूनिया बांसवाड़ा में 24 जुलाई को मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर पदयात्रा में शामिल होंगे। 25 जुलाई दोपहर 12 बजे पदयात्रा का बेणेश्वर धाम डूंगरपुर पर समापन होगा। यहां जनजाति समाज के लोगों के साथ एलईडी स्क्रीन पर राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण किया जाएगा।

खनन रोकने की मांग को लेकर किया था आत्मदाह

24-7-2022 पत्रिका बीकानेर

बाबा विजयदास की मौत, बरसाना में अंतिम संस्कार, उमड़े साधु-संत

खनन में जलन

अंतिम विदाई...

बाबा विजयदास के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे साधु-संत व जनप्रतिनिधि।

भरतपुर @ पत्रिका . आदिबद्री व कनकांचल पर्वत को खनन मुक्त कराने की मांग को लेकर 20 जुलाई को आत्मदाह करने वाले बाबा विजयदास की दिल्ली के अस्पताल में शनिवार तड़के मौत हो गई। बाबा विजयदास का उत्तरप्रदेश के बरसाना स्थित माताजी गौशाला में अंतिम संस्कार किया गया। मानमंदिर के संत दीनदयाल ने मुखाग्नि दी। संत की अंतिम यात्रा दिल्ली से बरसाना पहुंची। अंतिम यात्रा के दौरान बरसाना में कुछ युवकों ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पहुंचते ही नाराजगी भी जताई, मानमंदिर के संतों ने उन्हें शांत करा दिया।

साधु-संतों व प्रशासन के बीच तकरार...

गांव घिलावटी में बाबा विजयदास की अंतिम यात्रा को कामां में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे अंतिम यात्रा की अगुवाई कर रहे गोपेश्वरशरणदास बाबा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि दिवंगत संत को कामां के तीर्थराज विमल कुंड का जल स्पर्श कराए बिना अंतिम यात्रा नहीं जाएगी। इस पर जिला कलक्टर आलोक रंजन ने समझाइश करते हुए उन्हें विमल कुंड जाने के लिए पांच मिनट का समय दिया। कामां में बड़ी संख्या में नेताओं व आमजन ने बाबा की अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी।

28-7-22 पत्रिका [illegible] बीकानेर

अवैध खनन के विरोध में संत विजयदास का आत्मदाह करने का मामला

राजस्थान सरकार के संरक्षण में अवैध खनन की हो सीबीआइ जांच: भाजपा

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को सौंपी रिपोर्ट, मंत्री जाहिदा खान और बेटे साजिद के दबाव में प्रशासन ने दी अवैध खनन की खुली छूट

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राजस्थान में अवैध खनन के विरोध में संत विजय दास आत्मदाह के मामले में गठित भाजपा की चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार में मंत्री जाहिदा खान और उनके बेटे साजिद के दबाव में अवैध खनन को प्रशासन नजरअंदाज करता रहा, जिसके कारण 551 दिन से धरने पर बैठे संत विजय दास को प्राणों की आहुति देनी पड़ी।

भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर जांच में सामने आए तथ्यों को सामने रखा।

भाजपा महासचिव ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ साधु-संतों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा था। उनके पत्र में स्पष्ट लिखा था कि अवैध खनन राजस्थान सरकार के संरक्षण में हो रहा है और इसमें कांग्रेस सरकार के मंत्री की संलिप्तता है। पत्र में यह भी लिखा था कि गहलोत सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, इसलिए वे लोग सीबीआइ से जांच कराने की मांग करते हैं। इस बाबत साधु-संतों ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था। साधु-संतों की बात का हम भी समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले की सीबीआइ से जांच होनी ही चाहिए।

मंत्री के पास खनन के दो पट्टे: अरुण सिंह

अरुण सिंह ने कहा कि इस घटना को लेकर आसपास के गांव के लोगों ने स्वयं आकर भाजपा की जांच समिति से मुलाकात की। उनका एक ही आग्रह था कि संत विजय दास का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सिंह ने कहा, ऐसी रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार में एक मंत्री जाहिदा खान और उनके बेटे साजिद के दबाव में स्थानीय प्रशासन द्वारा खुली छूट दी गई जिससे खनन अनवरत चलता रहा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री जाहिदा खान के पास भी खनन के दो पट्टे हैं, ऐसी जानकारी मिली है।

23 जुलाई को बनाई थी समिति

संत के आत्मदाह मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 23 जुलाई को चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सत्यपाल सिंह और सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल, शामिल थे। इस समिति ने भरतपुर जिले के पासोपा गांव का दौरा कर संतों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। समिति ने विभिन्न स्तरों पर तथ्यों को एकत्र किया। समिति ने खनन क्षेत्र का दौरा कर अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों से भी बात की। समिति के सदस्यों ने भरतपुर जिले के पुलिस-प्रशासन के अफसरों से तथ्यात्मक जानकारी भी ली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने खनन विभाग की ली समीक्षा बैठक

50 वर्ष में मिलेगा एक लाख करोड़ का राजस्व

जयपुर @ पत्रिका. प्रदेश में मेजर मिनरल लाइमस्टोन के 16 ब्लॉकों की नीलामी होने से राज्य सरकार को आगामी 50 वर्षों में करीब एक लाख सात हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अखबार कटिंग 29-7-2022 पत्रिका बीकानेर

प्रदेश भाजपा की कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी

अवैध खनन व संत के आत्मदाह के लिए सरकार जिम्मेदार, मंत्री का दबाव

संत विजयदास आत्मदाह मामला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. पसोपा मंदिर के संत विजयदास के आत्मदाह मामले में प्रदेश भाजपा की ओर से गठित कमेटी ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार लोगों, खनन माफियाओं के गठजोड़ व लेटलतीफी के कारण संत विजयदास को आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा।

अलवर सांसद बालकनाथ ने बताया कि बुधवार को ही इस संदर्भ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। बालकनाथ ने बताया कि जांच के दौरान आंदोलनरत संतों व ग्रामीणों से घटनाक्रम के तथ्य जुटाए। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री, खनन मंत्री, राजस्व मंत्री, वन मंत्री ने संतों के धरने और खनन के मुद्दे को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि आदिबद्री व कनकांचल पर्वत पर मंत्री जाहिदा खान के परिवारजनों व ऊंची राजनीतिक पहुंच वाले लोगों की खानें हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर कलक्टर ने कई बार उक्त पर्वतों पर खनन प्रतिबंध करने व उन्हें वन भूमि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया, लेकिन उक्त प्रस्ताव पर आदेश जारी नहीं हुए। रिपोर्ट में लिखा कि सरकार ने विजयदास के देहावसान के बाद उनका अंतिम संस्कार पसोपा मंदिर प्रांगण में न करने का दबाव डाला गया और विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज करने की धमकी देकर यूपी में अंतिम संस्कार के लिए मजबूर किया गया। संत का इलाज एसएमएस अस्पताल जयपुर में बेहतर हो सकता था, लेकिन सरकार ने आनन-फानन में दिल्ली के लिए रैफर किया।

कमेटी में शामिल पांच सदस्य

प्रदेश भाजपा की ओर से गठित कमेटी में अलवर सांसद महंत बालकनाथ, पूर्व मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव शामिल थे। इस रिपोर्ट को भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा चुका है।

खनन पट्टा हस्तांतरण पर देय प्रीमियम हुआ आधा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य सरकार ने अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी। नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तांतरण पर लिया जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेंट/लाइसेंस फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपए के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रुपए तक लिया जाएगा। पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिए मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा।

ये हैं नए नियम

नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा को भी हटाया जा सकेगा। निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर अप्रधान खनिज के खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस के समीप उपलब्ध भूमि एक निश्चित क्षेत्रफल तक खनन पट्टा/लाइसेंस धारी को आवंटित की जा सकेगी।

मार्क
मधापद

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): GHISA RAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): DOLAT RAM

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1970

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RANDHISA PARIDI, SUJANGARH, छापर , चुरु, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	RANDHISA PARIDI, SUJANGARH, छापर , चुरु, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9414086482

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALVAR SINGH		पिता:VIJAY SINGH RAJPUROHIT	1. RANDHISAR,SUJANGARH, छापर ,चुरु,राजस्थान,भारत
2	TEJA RAM		पिता:KALA RAM JAT	1. RANDHISAR,SUJANGARH, छापर ,चुरु,राजस्थान,भारत
3	PARLAD RAM		पिता:MOHAN RAM JAT	1. RANDHISAR,SUJANGARH, छापर ,चुरु,राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण): नोट:- इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस स्टेशन कार्मिकों के गलती से भूलवश प्रथम पृष्ठ पर FIR No एवं दिनांक अंकित नहीं हुई है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33 दिनांक 14.3.2021 को पुलिस थाना छापर में पंजीबद्ध हुई है।

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

आज दिनांक 14.3.2022 के वक्त 08.39 PM पर श्री धीमाराम S/Oदौलाराम जाति खटीक उम्र 52 साल निवासी रणधीसर पहाड़ी ने हाजिर थाना होकर उक्त लिखित रिपोर्ट बदी मजमून सेवामे श्रीमान थानाअधिकारी मौहदय पुलिस थाना छापर विषय मुकदमा दर्ज करवाने बाबत श्रीमानजी मे धिमाराम S/Oदौलतराम जाति खटिक निवासी रणधीसर पहाडी त. सुजानगढ का हु दिनांक 13.3.2022 को शाम करीब 5.6 बजे बलबीरसिंहS/O विजयसिंह राजपुरोहित व रतनाराम S/Oलालराम जाट प्रहलादराम S/O मोहनराम जाट निवासीगण रणधीसर तिनो ड्रोन के द्वारा हमारे घरो का व हमारी घर की औरतो का विडीयो बना रहे थे। तब मैने उनको मना किया तो असने काहा खटीकडा तेरी क्या औकात है आ मना करने की फिर आज दिनांक 14.3.2022 को श्याम करीब 5.6 बजे फीर उपरोक्त तिनो व्यक्ती ड्रोन द्वारा हमारे घर व हमारी औरतो का विडीयो बना रहे थे । तब मैंने उनको विडीयो बनाने मे मना कीया तो तीनो ने मुझे काहा खटीकडा पुर चुगने वाली जात तेरी हमे मना करने की औकात क्या हैं मुझे फौस जाती सुचक गालिया निकाली व मरे 2-3 थप्पड की मारी तब मौका पर मौजुद नेमाराम S/O किशनाराम जाट, ओमप्रकाशS/Oभवरलाल जाट, गिरधारीलाल S/Oभवानाराम जाट,सुभाष कुमारS/Oजगदीश प्रसाद खटीक ने बीच बचाव कर मुझे छुडाया रिपोर्ट देता हुं मुकदमा दर्ज कर कानुनी कारवाई करे दिनांक 14.3.2022 प्रार्थी धीमाराम धिमाराम S/Oदौलतराम खटीक निवासी पेश की मजरुब ने मौजद पुछताछ पर बताया कि मेरे शरीर पर कोई चोट नही हैं थाप मुक्को से मारपीट मे मारपीट की गई।मजमुन रिपोर्ट वा सूरत अरवात मे जुर्म धारा 323,341,354,34 IPCवा 3(2) (VA),3(1)(R)3(1)(S) SC/ST ACT का वकु मे आना पाया जाने पर FIR बजुर्म उपरोक्त मे दर्ज कर अनुसंधात उच्चाधिकारीयो के आदेशानुसार श्री रामप्रताप बिश्नोईRPS CO सुजानगढ के सपुर्द की गई।CCTNS पर पृविष्टी अंकित होने पर पृविष्टी क्रमांक अलग से अंकित किए जायेगे। FIR व SR प्रतिया नियमानुसार जारी की गई। मुस्तगीस को एक प्रति FIR की निशुल्क दी गई।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Rampratap bishnoi Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Dharamveer Singh Rathore
Location: Rajasthan
Date: 2022

Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Dharmveer Singh
Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No(सं.):

धर्मेन्द्र
90688-61124

Singh
राकेश

डूंगाराम
प्रेमचन्द जाणी

Asulo
उत्तमाराम

मूलसिंह

मंगलाराम

अंगु. डालाराम

रेवन्तसिंह

दुलाराम

श्रवण
राकेश

अं. नि

अं० नि

अनूप नायक

प्रभुराम

मेमाराम बावरी

Madu

अं० नि

अर्जुनसिंह
अंगु. दुलाराम

राकेश

भीखाराम

Tesam.
रतन

Bahadur

सांवरमल

दौरान सुनवाई :-

इस्तगासा/ अनुविभागीय स्थानीय समुदाय ग्राम ग्रामीण/ कृषि संबंधित आवेदन-प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर जा रही है।

[illegible]